संख्या-182/2020/1623/41-2020-02सा0/2018

प्रेषक,

शिव पाल सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद,
मथुरा।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 17 अगस्त, 2020**

विषय:- उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद में पदों का सृजन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने अर्द्धशासकीय पत्रांक-63/ब्र0ती0वि0प0/2020, दि0 16-6-2020, एवं पत्रांक-63/ब्र0ती0वि0प0/2020, दि0 20-6-2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-06/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दि0 18-5-2020 के आलोक में शासनादेश दि0 15-6-2020 द्वारा उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद हेतु पूर्व प्रेषित विभिन्न पदों के सृजन के सम्बन्ध में व्यक्त की गई असहमति के क्रम में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बोर्ड बैठक दि0 11-7-2019 में प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर परिषद के कार्यों के सुचारू रूप से संचालन हेतु कुशल/अकुशल कर्मियों के 05 पदों, सहायक लेखाकार के स्थान पर लेखाकार के 01 पद को सृजित किये जाने तथा पूर्व सृजित सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद को प्रतिनियुक्ति से भरे जाने के स्थान पर सेवानिवृत कार्मिक से भरे जाने के संबंध में अनुमति प्रदान करने संबंधी पूर्व प्रेषित प्रस्तावों के परिप्रेक्ष्य में संदर्भगत पदों पर कोविड-19 के प्रादुर्भाव के 9 माह पूर्व ही नियुक्तियां किये जाने का उल्लेख करते हुए उक्त पदों का सृजन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद में पदों के सृजन विषयक शासनादेश सं0-182/2018/3514/41-2018-02(सा0)/2018 दिनांक 05 सितम्बर 2018 के क्रमांक-03 पर सहायक अभियन्ता (सिविल) (वेतनमान 15600-39100, ग्रेड वेतन रू0 5400/-) के पूर्व सृजित 01 पद को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रतिनियुक्ति की बजाय सेवानिवृत्त कार्मिक से भरे जाने तथा क्रमांक-5 पर सृजित सहायक लेखाकार (वेतनमान 5200-20200, ग्रेड वेतन रू0 2800/-) के 01 पद को समाप्त कर उसके स्थान पर लेखाकार के 01 पद का सृजन करते हुये सृजित पद को सेवानिवृत्त कार्मिक से भरे जाने की अनुमति एतद्द्वारा प्रदानकी जाती है।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-7-797/दस-2020 दिनांक 11 अगस्त 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-182/2020/1623/41-2020-02सा0/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा।
5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग।
6- संबंधित कोषाधिकारी।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ।
8- संयुक्त निदेशक, पर्यटन, कार्यालय महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।